न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज़ कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 09/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1खलील चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–मैसर्स चौहान प्रोविजन स्टोर, पडाव बाजार, मेडतासिटी जिला नागौर। 2इकबाल चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–मैसर्स चौहान प्रोविजन स्टोर, पडाव बाजार, मेडतासिटी जिला नागौर।

आदेश दिनांक :25.02.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 04-09-2020 को मैसर्स चौहान प्रोविजन स्टोर, पडाव बाजार, मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (बालाजी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1334 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/276/एक्ट/2020/152 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (बालाजी ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त खलील चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर तथा इकबाल चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-12-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब दिनांक 25.02.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से तेल का पैकिंग का सेम्पल भरा। जो मिस ब्राण्ड होना पाया गया। मै छोटा दुकानदार हूँ। आगे से मै ध्यान रखकर खरीदकर लाउगा। भविष्य मे दुबारा गलती नही होगी। इस मुकदमे मे कम से कम जुर्माना कर दोष मुक्त करने की कृपा करे।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/276/एक्ट/2020/152 दिनांक 19.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन तेल (बालाजी ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण खलील चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर तथा इकबाल चौहान पुत्र हाजी बाबू जाति मुस्लिम चौहान निवासी नन्हा बाजार मेडतासिटी जिला नागौर पर संयुक्त रूप से 10,000/– अक्षरे रूपये दस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर